

05/10/2021

पञ्जली प्रशासन गांवों के लगे अभियान
 2021 के तहत गा.प. मुख्यालय परमाणु
 पर आयोजित शिविर से लार्सी गद्दी हमारे
 पञ्जली का उपलब्ध किया। प्रथम
 कंपनी खोलेसारी अरुण गा.प. केसरी की
 आ.जं. 25, 26, 27, 28 कीत प कुल
 रकम 1.50 हे० की पत्थरगदी कराने हेतु
 आवेक किया है। पञ्जली से उपलब्ध
 मकल जमावरी जम्मा 2068-2071 के
 अन्तर्गत अरुण आराजीयत प्रथम के नाम
 पर खोलेसारी एक से 57 हे० चूँकि प्रथम

2020
 00406



मजदारी

(श्याम सुन्दर विरनाई)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (सब.)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

शमेश्वरलाल बनाम नन्दलाल
128 CR Act

ही अन्तर्गत

मुकदमा नं. 213 सन् 2020
(2020/00406)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
X	<p>उक्त आराजीमत की पत्थरगरी कानाना योक्ष है। इतः प्राथमिक का प्राथमिक यज इन्तीर धारा 128 CR Act खीका किफा जाफा प्राथमिक की गाम ऐराल पण्डा ऐराल लित आराजी नम्बर 25, 26, 27, 28 कीरा प कुल रकम 1.50 हे. भूमि की बिना किली के कले अे दरखलन्दानी फिर सेटलमेंट जम्मे इन्तीर पत्थरगरी फिर जाने के आदेश रिए जाते है। शुल्क 1000 = 1000 रूपी एक हजार प्राथमिक वदन करेगें। पालनाय तदधीनता चित्तौड़गढ़ को लिखा जावे कि पत्थरगरीको लिखित सूचना देकर नियमावली पत्थरगरी की जावे एवे पालना रिपोर्ट न्यायालय मे प्रस्तुत करे। पत्रावली केवल शुमार होकर नम्बर ले कम हो।</p>	

(श्याम सुन्दर विश्नाई)
स्हायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)